



प्रेषक,

कुलदीप श्रीवास्तव,  
विशेष सचिव।  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,  
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,  
उ०प्र०, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9

लखनऊ: दिनांक 25 जून, 2026

विषय: जनपद झांसी के नलकूप-मण्डल झांसी के कार्यालय भवन एवं परिसर के मरम्मत/पुनरोद्धार की परियोजना की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-1208/2020/परि०/कैम्प/बजट, दिनांक 15.06.2026 एवं शासनादेश संख्या-492/2025/001/ 1556/25-27-सिं-9-75 भवन/25, दिनांक 08.10.2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद झांसी के नलकूप-मण्डल झांसी के कार्यालय भवन एवं परिसर के मरम्मत/पुनरोद्धार की परियोजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं०-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के लेखाशीर्षक-4701-75-051-10-14-24 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि ₹0 140.20 लाख में से ₹0 1,39,92,000.00(रुपये एक करोड़ उन्तालीस लाख बानबे हजार मात्र) परियोजना के कार्यों पर औपचारिक रूप से वहन किए जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रुपये में)

| क.सं. | परियोजना का नाम                                                                              | अनुदान सं० / लेखाशीर्षक | वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राविधानित बजट | शासन द्वारा प्रदत्त स्वीकृति का सन्दर्भ शा० सं० / दिनांक             | प्रशा० स्वीकृति की लागत a गठित / (अनुबन्ध की लागत) b | अनुबन्ध लागत के आधार पर कार्य की पुनरीक्षित लागत | गठित अनुबन्ध (पुनरीक्षित / लागत के आधार पर बचत {6(अ)-7}) | अब तक कमित आवंटन / व्यय | परियोजना पर आवंटन हेतु अवशेष धनराशि (पुनरीक्षित लागत) (सापेक्ष 7-9) | वित्तीय वर्ष 2026-27   |                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
|       |                                                                                              |                         |                                          |                                                                      |                                                      |                                                  |                                                          |                         |                                                                     | अनु 0 सं० / लेखाशीर्षक | अवमुक्त की जाने वाली प्रस्तावित धनराशि |
| 1     | 2                                                                                            | 3                       | 4                                        | 5                                                                    | 6                                                    | 7                                                | 8                                                        | 9                       | 10                                                                  | 11                     | 12                                     |
| 1     | जनपद झांसी के नलकूप-मण्डल झांसी के कार्यालय भवन एवं परिसर के मरम्मत / पुनरोद्धार की परियोजना | 4701-75-051-10-14-24    | 140.20                                   | पत्र सं०-492/2025/001/1556/25-27-सिं०-9-75 भवन/25, दिनांक 08.10.2025 | 190.20 / 159.60                                      | 189.92                                           | 0.28                                                     | 50.00 / 50.00           | 139.92                                                              | 4701-75-051-10-14-24   | 139.92                                 |

**नियम व शर्त/प्रतिबन्धों**

- (1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (2) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा।
- (3) प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुये समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत परियोजनाओं पर ही किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये इसका समस्त उत्तरदायित्व विभाग का होगा।
- (6) उक्त धनराशि को कोषागार से एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जायेगा तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए/डिपाजिट खाते में न रखी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (7) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
- (8) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (9) विभाग अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25-01-2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (10) 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- (11) विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 एवं वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17.05.2023 एवं शासनादेश संख्या-2/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19.05.2023 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (12) किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का समस्त उत्तरदायित्व विभाग का होगा।
- 2-** इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये 1,39,92,000.00(रुपये एक करोड़ उन्तालीस लाख बानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या-94-लेखा शीर्षक-4701750511014** सम्बद्ध कार्य **मानक मद 24** वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 3-** यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
**कुलदीप श्रीवास्तव**  
विशेष सचिव

#### संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 3- प्रमुख अभियन्ता(परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियन्ता (बजट)/(अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- मुख्य अभियन्ता (नलकूप दक्षिण), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, कानपुर।
- 6- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 7- अनु सचिव एवं नोडल अधिकारी, ऑन लाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 8- मुख्य अभियन्ता(सूचना प्रणाली संगठन)/नोडल अधिकारी, CMIS पोर्टल, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
- 10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,  
**राजेन्द्र प्रसाद यादव**  
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है